भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3786

उत्तर देने की तारीख 24 मार्च, 2025

सोमवार, 03 चैत्र, 1947 (शक)

कौशल भारत कार्यक्रम के विशिष्ट लक्ष्य

3786. श्री जी. सेल्वम: श्री सी. एन. अन्नादुरई: श्री नवसकनी के.:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान वित्त वर्ष में प्रशिक्षित और नियोजित व्यक्तियों की संख्या के संदर्भ में कौशल भारत कार्यक्रम (एसआईपी) के विशिष्ट लक्ष्यों का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम को वंचित और ग्रामीण समुदायों, विशेषकर देश के दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान एसआईपी के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं की तमिलनाडु सहित राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार द्वारा एसआईपी के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त कार्यक्रम की सफलता दर का मूल्यांकन करने के लिए कोई कौशल-पश्चात मूल्यांकन प्रणाली मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार किस तरीके से रोजगार और नौकरी की उपलब्धता में सुधार के लिए उक्त कार्यक्रम की गुणवत्ता और प्रभावशीलता की निगरानी करती है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए 2026 तक केंद्रीय क्षेत्र योजना 'कुशल भारत कार्यक्रम (एसआईपी)' को जारी रखने और पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। इस योजना में तीन घटक शामिल हैं (i) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0), (ii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (पीएम-एनएपीएस), और (iii) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना। एसआईपी की निरंतरता और पुनर्गठन देश भर में मांग-संचालित, प्रौद्योगिकी-सक्षम और उद्योग-संरेखित प्रशिक्षण को एकीकृत करके एक कुशल, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

वर्तमान वित्त वर्ष यानी 2024-25 में 28.02.2025 तक एसआईपी के तहत प्रशिक्षित/उन्मुख/संलग्न उम्मीदवारों की घटक-वार संख्या नीचे दी गई है:

(लाख में)

पीएमकेवीवाई 4.0	जेएसएस	पीएम-एनएपीएस
25.15	3.15	9.00

(ख) एसआईपी के तहत, दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों को कवर करते हुए देश भर में वंचित और ग्रामीण समुदायों सहित समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनः कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, सीमांत समुदायों और पिछड़े/दूरदराज के क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं:

i. पीएमकेवीवाई का विशेष परियोजना घटक अल्पकालिक, परियोजना-आधारित कौशल हस्तक्षेप प्रदान करता है जो सीमांत समुदायों, कमजोर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के लिए कौशल पहल को प्राथमिकता देता है।
ii. महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) जैसे विशेष समूहों और सामान्य मानदंडों में उल्लिखित विशेष क्षेत्रों को बोर्डिंग और लॉजिंग, और परिवहन सुविधाओं जैसी अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। गैर-आवासीय प्रशिक्षण के लिए, महिलाओं और पीडब्ल्यूडी के लिए परिवहन या परिवहन लागत को कवर किया जाता है।
iii. एमएसडीई सीमांत वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल घटक को भी लागू कर रहा है, जैसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय का प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन), गृह मंत्रालय का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी), मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई (नमस्ते) और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष), आदि।
iv. इसके अलावा, जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) एक समुदाय संचालित कौशल योजना है, जो महिलाओं और समुदाय के अन्य कमजोर वर्गों को लक्षित करती है, जिसका उद्देश्य लाभार्थी के दरवाजे पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। जेएसएस के माध्यम से प्रदान किया जाने वाला कौशल प्रशिक्षण महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यकों और समाज के किसी भी अन्य वंचित समूहों के लिए लचीला, सस्ता और अत्यधिक सुलभ है।

(ग) वर्ष 2022-23 से एसआईपी के तहत लाभान्वित होने वाले उम्मीदवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या, जिसमें 28.02.2025 तक तमिलनाडु राज्य भी शामिल है, अनुबंध में दी गई है।

(घ) एसआईपी के तहत, पीएमकेवीवाई 4.0 में, हमारे प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उनके विविध कैरियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और उन्हें इसके लिए

उपयुक्त रूप से उन्मुख किया गया है। हालांकि, रोजगार के अवसरों को सक्षम करने के लिए, स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) प्लेटफॉर्म को वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया है जो विभिन्न हितधारकों को लक्षित करते हुए आजीवन सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करने के लिए कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को एकीकृत करता है। संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण एसआईडीएच पोर्टल पर उपलब्ध है। स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से, उम्मीदवार नौकरियों और शिक्षुता के अवसरों तक पहुँच सकते हैं। साथ ही, ऑन-जॉब-ट्रेनिंग (ओजेटी) को पीएमकेवीवाई का एक अंतर्निहित घटक बनाया गया है।

पीएम-एनएपीएस शिक्षा से लेकर औपचारिक रोजगार तक के लिए शिक्षुता से लेकर औपचारिक रोजगार तक के संधिकाल का समर्थन करता है, जिसमें उद्योग-विशिष्ट रोलों पर जोर दिया जाता है और रोजगार के क्षेत्र में वास्तविक जीवन के संपर्क के माध्यम से जोर दिया जाता है। प्रतिष्ठानों/नियोक्ताओं और उम्मीदवारों के बीच सक्रिय बातचीत सुनिश्चित करने के लिए, देश भर में रोज़गार मेले और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले (पीएमएनएएम) आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, जेएसएस के तहत, उद्यमशीलता और आजीविका संवर्धन के लिए उम्मीदवारों को उन्मुख करने के लिए आजीविका प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

(ङ) एसआईपी के तहत, पीएमकेवीवाई 4.0 में, एक वर्ष की अवधि के लिए उम्मीदवारों की प्रमाणन के बाद ट्रैकिंग शामिल है। इसके अतिरिक्त, पीएमकेवीवाई 4.0 के मूल्यांकन के लिए मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) को नियुक्त किया गया है।

(च) पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत कौशलीकरण मान्यता प्राप्त और संबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से किया जाता है। योजना के तहत प्रशिक्षित सभी उम्मीदवारों के प्रशिक्षण जीवन चक्र का प्रबंधन एसआईडीएच पर किया जाता है। इसके अलावा, नियमित निगरानी की जाती है, और किसी भी गैर-अनुपालन को अनुमोदित दंड ग्रिड के अनुसार निपटाया जाता है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार और लाभार्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए एमएसडीई द्वारा की गई पहल नीचे दी गई हैं:

i. मानकीकृत प्रशिक्षण ढांचा- राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ़) एक समान प्रशिक्षण मानक निर्धारित करता है, जो उद्योग की जरूरतों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखण सुनिश्चित करता है।
ii. उद्योग जुड़ाव - उद्योग की भागीदारी पाठ्यक्रम विकास का समर्थन करती है, जबकि राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस) और माइक्रो-क्रेडेंशियल लचीले, योग्यता-आधारित प्रशिक्षण को सक्षम करते हैं।
iii. ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी)- अल्पकालिक कौशल कार्यक्रमों के भीतर ओजेटी का एकीकरण व्यावहारिक अनुभव और निर्बाध रोजगार के अवसर प्रदान करता है।
iv. डिजिटल और पारदर्शी प्रमाणन- क्यूआर-कोडेड डिजिटल प्रमाणपत्र प्रामाणिकता सुनिश्चित करते हैं, तत्काल सत्यापन की सुविधा देते हैं और नियोक्ता का विश्वास बढ़ाते हैं।

v. स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध)- सिद्ध पर संपूर्ण प्रशिक्षण जीवनचक्र प्रबंधित किया जाता है। इसके अलावा, सिद्ध कौशल पहलों को सुव्यवस्थित करता है, पाठ्यक्रम खोज, ऑनबोर्डिंग, ईकेवाईसी प्रमाणीकरण, वास्तविक समय ट्रैकिंग, टीपी/टीसी पंजीकरण आदि की पेशकश करता है।

vi. वास्तविक समय की निगरानी- कौशल समीक्षा केंद्र डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके आभासी निरीक्षण को सक्षम करते हैं, अनुपालन और समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित करते हैं।

vii. प्रशिक्षण केंद्रों की संबद्धता और मान्यता: प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है, जिनके पास मानक बुनियादी ढांचा होता है जो पुरस्कार देने वाले निकायों द्वारा निर्धारित मान्यता और संबद्धता (ए एंड ए) मानकों के अपेक्षित मानदंडों को पूरा करता है।

viii. प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी)/मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण (टीओए) के माध्यम से प्रशिक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं की क्षमता निर्माण- पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत प्रमाणित प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है और प्रमाणित मूल्यांकनकर्ताओं के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है।

ix. उम्मीदवारों (इन और आउट), प्रशिक्षक और मूल्यांकनकर्ता के लिए आधार प्रमाणित नामांकन और दैनिक बायोमेट्रिक उपस्थिति।

x. बुनियादी ढांचे का क्रॉस उपयोग- प्रशिक्षण स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, टूलरूम, एनआईईएलआईटी, सीआईपीईटी आदि जैसे शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

xi. पीएम-एनएपीएस एआई, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, हरित ऊर्जा और उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्रों सहित मौजूदा विनिर्माण में शिक्षुता के अवसरों को प्रोत्साहित करता है। यह कौशल पहलों को भविष्य के नौकरी बाजारों और उद्योग की प्रवृत्ति के साथ जोड़ता है।

अनुबंध

अनुबंध 24.03.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3786 के उत्तर में संदर्भित।

2022-23 से 28.02.2025 तक एसआईपी के तहत लाभान्वित उम्मीदवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या, जिसमें तमिलनाडु राज्य भी शामिल है:

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य	पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत प्रशिक्षित/उन्मुख अभ्यर्थी	जेएसएस के तहत प्रशिक्षित अभ्यर्थी	एनएपीएस के अंतर्गत नियोजित शिक्षु
1	अंडमान व नीकोबार द्वीप समूह	1,557	4,540	222
2	आंध्र प्रदेश	69,192	35,249	57,391
3	अरुणाचल प्रदेश	13,638	-	171
4	असम	1,12,937	27,379	23,362
5	बिहार	1,21,393	1,20,434	16,104
6	चंडीगढ़	878	4,750	3,516
7	छतीसगढ	24,525	74,800	15,241
8	दिल्ली	22,966	17,453	52,046
9	गोवा	419	5,240	27,169
10	गुजरात	59,358	45,888	2,42,409
11	हरियाणा	1,00,609	19,587	1,91,390
12	हिमाचल प्रदेश	23,614	56,496	25,542
13	जम्मू और कश्मीर	1,12,460	1,940	2,754
14	झारखंड	37,905	62,055	30,074
15	कर्नाटक	74,275	66,861	2,21,714
16	केरल	18,888	51,492	38,442
17	लद्दाख	757	812	141
18	लक्षद्वीप	120	3,713	22
19	मध्य प्रदेश	2,85,381	1,56,009	68,271
20	महाराष्ट्र	1,06,399	1,11,193	7,04,868
21	मणिपुर	23,532	21,494	234
22	मेघालय	10,024	3,840	649
23	मिजोरम	10,023	4,509	158
24	नागालैंड	10,350	5,050	56
25	ओडिशा	47,283	1,56,273	29,740
26	पुदुचेरी	4,099	-	7,656
27	पंजाब	1,15,938	9,318	44,378
28	राजस्थान	2,98,297	46,324	54,023
29	सिक्किम	5,659	-	895
30	**तमिलनाडु**	**1,18,643**	**43,104**	**2,66,157**
31	तेलंगाना	37,801	34,046	1,00,260
32	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	1,708	7,794	7,206
33	त्रिपुरा	19,099	11,177	1,178
34	उत्तर प्रदेश	5,18,158	2,57,415	2,01,814
35	उत्तराखंड	46,311	44,679	58,678
36	पश्चिम बंगाल	60,868	37,218	77,131

*****